निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**27 श्रावण 1937 (श0)**

**(सं0 पटना 934) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015**

**बिहार विधान-सभा सचिवालय**

**अधिसूचना**

4 अगस्त 2015

सं० वि०स०वि०-16/2015- 2896 / वि०स०— ''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव ।

fcgkj eY;of)lr dj ¼l'kk/ku ,o fof/kekU;dj.k½ fo/k;d] 2015

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित]

[वि०स०वि०-12/2015]

fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dk l'kk/ku djus grq fo/k;dA

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1- lf{kIr uke] foLrkj vkj ikjEHkA& (1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा–2, धारा–3 एवं धारा–12 तुरत प्रवृत्त होगी, जबकि धारा–4, धारा–5,धारा–6, धारा–7, धारा–8, धारा–9, धारा–10 एवं धारा–11 दिनांक 31वीं मार्च, 2012 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

2-fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼3½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3 की उप–धारा (3) के खंड (ख) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ''पाँच लाख रूपये'' को शब्द ''दस लाख रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 3dd e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 3कक में प्रयुक्त शब्द ''प्रत्येक व्यवहारी जिसका'' के बाद शब्द ''इस धारा के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का'' जोड़े जाएंगे।

4- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 24 dh mi&/kkjk ¼6½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (6) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 24 dh mi&/kkjk ¼7½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (7) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 24 dh mi&/kkjk ¼8½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (8) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' के बाद शब्द एवं अंक ''या उप–धारा (1क)'' जोड़े जाएंगे।

7- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk&24 dh mi&/kkjk ¼10½ e l'kk/kuA& (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–24 की उप–धारा (10) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–24 की उप–धारा (10) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 24 dh mi&/kkjk ¼12½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (12) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 25 dh mi&/kkjk ¼1½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 25 की उप–धारा (1) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 32 dh mi&/kkjk ¼1½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 32 की उप–धारा (1) के खंड (ख) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1क)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11- fcgkj eY;of)lr dj vf/kfu;e] 2005 ¼vf/kfu;e 27] 2005½ dh /kkjk 93 dh mi&/kkjk ¼2½ e l'kk/kuA& बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 93 की उप–धारा (2) के खंड (द) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–धारा (1)'' के बाद शब्द एवं अंक ''एवं (1क),'' जोड़े जाएंगे।

12. fof/kekU;dj.k ,o 0;kofrA& (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (6), धारा 24 की उप–धारा (7), धारा 24 की उप–धारा (8), धारा 24 की उप–धारा (10), धारा 24 की उप–धारा (10) के खंड (ख), धारा 24 की उप–धारा (12), धारा 25 की उप–धारा (1), धारा 32 की उप–धारा (1) के खंड (ख) एवं धारा 93 की उप–धारा (2) के खंड (द) में संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु, 2012 के मार्च की 31वीं तारीख के प्रभाव से, सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(2) (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई कर निर्धारण, कर संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, सभी प्रयोजनों हेतु, विधिमान्यतः या प्रभावकारी रूप से, निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटायी गयी, संगणित अथवा की गई समझी एवं सदैव समझी जायेगी मानों इस संशोधन द्वारा संशोधित धारा 24, धारा 25, धारा 32 एवं धारा 93 सभी तात्विक समय में प्रवृत्त थी तथा, तद्नुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) प्राप्त या वसूल किए गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि की वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 24 की उप–धारा (6), धारा 24 की उप–धारा (7), धारा 24 की उप–धारा (8), धारा 24 की उप–धारा (10), धारा 24 की उप–धारा (10) के खंड (ख), धारा 24 की उप–धारा (12), धारा 25 की उप–धारा (1), धारा 32 की उप–धारा (1) के खंड (ख) एवं धारा 93 की उप–धारा (2) के खंड (द) में इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,2005 के अधीन संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया, का संग्रहण उपर्युक्त धाराओं में किए गए संशोधन के अनुसार किया जा सकेगा।

(ii) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप, जो इन धाराओं के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।''

foÙkh; l y [k

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत राज्य के अंदर खरीद बिक्री करने वाले किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त रू० पॉच लाख से अधिक होने पर निबंधन लिये जाने के प्रावधान विहित है। इस सीमा को बढ़ाते हुए रू० दस लाख किया गया है। फलस्वरूप राज्य के अंदर खरीद बिक्री करने वाले किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त लगातार बारह महीनों में रू० दस लाख से अधिक होने पर वैट अधिनियम के तहत निबंधन लिये जाने की बाध्यता होगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा– 24, 25, 32 एवं 93 में संशोधन का प्रस्ताव है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त रू0 250 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इसमें संशोधन करते हुए मात्र अधिसूचित वस्तुओं की वार्षिक बिक्री रू० 250 करोड़ से अधिक होने पर ही व्यवहारी पर अतिरिक्त कर की देयता स्थापित होगी।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

mís’; ,o gr

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत राज्य के अंदर खरीद बिक्री करने वाले किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त रू० पॉच लाख से अधिक होने पर निबंधन लिये जाने के प्रावधान विहित है। इस सीमा को बढ़ाते हुए रू० दस लाख किया गया है। फलस्वरूप राज्य के अंदर खरीद बिक्री करने वाले किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त लगातार बारह महीनों में रू० दस लाख से अधिक होने पर वैट अधिनियम के तहत निबंधन लिये जाने की बाध्यता होगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा– 24, 25, 32 एवं 93 में संशोधन का प्रस्ताव है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी व्यवसायी का सकल आवर्त्त रू0 250 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इसमें संशोधन करते हुए मात्र अधिसूचित वस्तुओं की वार्षिक बिक्री रू० 250 करोड़ से अधिक होने पर ही व्यवहारी पर अतिरिक्त कर की देयता स्थापित होगी।

उपर्युक्त के कारण ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

---

पटना,
दिनांक 04 अगस्त, 2015

प्रभारी सचिव
बिहार विधान–सभा।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण)** 934-571+10-**डी**0**टी**0**पी**0**।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**